ओबीसी क्रीमी लेयर पर फैसला सीएसई 2025 के सेवा आवंटन पर भी लागू होगा

संघ लोक सेवा आयोग ने 6 मार्च को परीक्षा का परिणाम घोषित किया लेकिन सेवा आवंटन लंबित थी

भाविनी मिश्रा
नई दिल्ली, 6 नवंबर

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थियों की क्रीमी लेयर स्थिति तय करने को लेकर 11 मार्च को दिए गए उसके फैसले के आधार पर पहले से पूरी हो चुकी भर्ती प्रक्रियाओं, नियुक्तियों या तय हो चुकी वरिष्ठता की स्थिति को दोबारा नहीं खोला जाएगा।

यह फैसला लंबित मामलों और सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2025 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के सेवा आवंटन पर लागू होगा। न्यायमूर्ति पामिदिघंटम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर. महादेवन के पीठ ने केंद्र सरकार की उस याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया जिसमें फैसले के क्रियान्वयन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। न्यायालय ने कहा कि समान लाभ का दावा करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों के लंबित मामले उनके व्यक्तिगत गुण-दोष के आधार पर जांचे जाएंगे। संबंधित प्राधिकारी फैसले में उल्लिखित वर्ष 1993 के कार्यालय ज्ञापन और वर्ष 2004 के स्पष्टीकरण की व्याख्या पर विचार कर सकते हैं।

अदालत ने स्पष्ट किया कि 11 मार्च से पहले पूरी हो चुकी चयन और नियुक्ति प्रक्रियाओं को केवल इस निर्णय के आधार पर दोबारा नहीं



खोला जाएगा। हालांकि सरकार को ओबीसी आरक्षण से संबंधित भविष्य की चयन और नियुक्ति प्रक्रियाओं में संशोधित व्याख्या का पालन करना होगा।

पीठ ने निर्देश दिया कि यह फैसला सिविल सेवा परीक्षा 2025 के माध्यम से चयनित ओबीसी अभ्यर्थियों के सेवा आवंटन पर लागू होगा। संघ लोक सेवा आयोग ने 6 मार्च को परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया था लेकिन सेवा आवंटन की प्रक्रिया अभी लंबित थी। अदालत ने कहा कि फैसले के क्रियान्वयन को टालने का उचित आधार नहीं है।

केंद्र सरकार ने मौजूदा नियमों के तहत अनुशंसित 958 अभ्यर्थियों को सेवा आवंटित करने की अनुमति मांगी थी। सरकार का तर्क था कि इसमें और देरी होने से उनके फाउंडेशन कोर्स और प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यक्रम प्रभावित होगा। सरकार ने बताया था कि वर्ष 2016 से 2025 के बीच केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में आरक्षित श्रेणियों के 5.69 लाख से अधिक रिक्त पद भरे गए हैं। इनमें ओबीसी के 3.70 लाख पद शामिल हैं। सरकार ने आशंका जताई थी कि इन नियुक्तियों की दोबारा समीक्षा से सेवा आवंटन, वरिष्ठता, पदोन्नति और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्रभावित हो सकते हैं।

11 मार्च के अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी ओबीसी अभ्यर्थी की क्रीमी लेयर स्थिति निर्धारित करने के लिए केवल उसके माता-पिता का वेतन आधार नहीं हो सकता। माता-पिता के पदों की प्रकृति और श्रेणी पर भी विचार करना जरूरी है।

यह विवाद 8 अगस्त, 1993 के कार्यालय ज्ञापन और 14 अक्टूबर, 2004 को जारी स्पष्टीकरण की व्याख्या से जुड़ा था। वर्ष 2004 के स्पष्टीकरण में कहा गया था कि जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, विश्वविद्यालयों और निजी संगठनों के पदों की सरकारी पदों के समकक्षता निर्धारित नहीं हुई है वहां माता-पिता के वेतन पर विचार किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वर्ष 2004 का स्पष्टीकरण मूल नीति में नामोजूद कोई अतिरिक्त पात्रता शर्त नहीं जोड़ सकता। अदालत ने यह भी कहा कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के बच्चों के साथ समान स्थिति वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की तुलना में अलग व्यवहार करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन हो सकता है।

पीठ ने कहा कि सरकार संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप अपनी आरक्षण नीति बनाने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि, अदालत ने विभिन्न पदों के बीच समकक्षता निर्धारित करने के लिए कोई समयसीमा तय करने से इनकार कर दिया।

प्रदूषण के लिए वाहनों का धुआं जिम्मेदार : शीर्ष न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के लिए वाहनों से निकलने वाले धुएं को एक बड़ा कारण बताया और कहा कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में हो रही बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल, मध्यम अवधि के और दीर्घकालिक उपाय करने की जरूरत है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना के पीठ ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सड़कों पर वाहनों की भारी भीड़ और जगह-जगह लगने वाले जाम पर भी चिंता जताई।

सीजेआई ने कहा, 'हम लगातार बातें करते हैं, कभी बयान देते हैं और सुझाव भी देते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि एक्यूआई पहले ही 400 के स्तर को छू रहा है।' पीठ ने दिल्ली को आसपास के इलाकों से जोड़ने वाली सड़कों पर बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही की ओर ध्यान दिलाया। इनमें गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद शामिल हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'दिल्ली की सड़कों और दिल्ली को एनसीआर से जोड़ने वाली सड़कों को देखिए। किसी भी सड़क पर चले जाइए और वहां चलने वाले वाहनों की संख्या पर गौर कीजिए। यही सबसे बड़ी समस्या है।'

पीठ ने कहा कि इस प्रदूषण का असली खमियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वे सड़कों पर रहते हैं। इसके अलावा, त्योहारों का समय ही होता है, जब उन्हें रोजी-रोटी कमाने का मौका मिलता है। पराली जलाने के मुद्दे पर पीठ ने कहा कि किसानों को जागरूक करने की जरूरत है, ताकि वे खेतों में आग लगाने के बजाय मशीनों का इस्तेमाल करें। एक्यूआई के निर्धारित स्तर से ऊपर पहुंचने पर सभी आयु वर्ग के छात्रों के लिए स्कूल बंद करने या 'हाइब्रिड मोड' में कक्षाएं संचालित करने के अनुरोध वाली याचिका पर पीठ ने कहा कि वह विशेषज्ञों की राय के अनुसार फैसला करेगी।

केंद्र सरकार और अन्य संबंधित प्राधिकरणों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने प्रदूषण के पांच प्रमुख स्रोतों से निपटने के लिए बनाए गए नियामक ढांचे की जानकारी दी। इनमें औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, निर्माण एवं तोड़फोड़ से उड़ने वाली धूल, सड़कों की धूल और पराली जलाना शामिल हैं। उन्होंने पीठ को बताया कि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें कुछ श्रेणियों के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) की जियो-टैगिंग और मोबाइल ऐप व सोशल मीडिया के जरिए मिली शिकायतों के आधार पर स्पष्ट रूप से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है।

भाटी ने पीठ को बताया कि गुरुवार को दिल्ली के कुल वायु प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत थी। पीठ ने कहा कि वह इस मामले में कुछ आदेश पारित करेगी। साथ ही, दीवाली की छुट्टियों के बाद अदालत दोबारा खुलने पर 16 नवंबर को याचिका पर सुनवाई करेगी। **भाषा**

वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में पहुंची



दिल्ली में प्रदूषण से बचने के लिए मास्क पहन रहे लोग

राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को धुंध की घनी चादर छाई रही, जिससे वायु गुणवत्ता में तेज गिरावट आने के साथ एक्यूआई 391 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी के करीब है। दिल्ली के 59 निगरानी केंद्रों में से 30 पर सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि शेष केंद्रों पर यह बेहद खराब श्रेणी में रही। रोहिणी में सबसे अधिक 475 एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) दर्ज किया गया, जबकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली में यह 472 रहा। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के अनुसार, दिल्ली में शुक्रवार को इस मौसम का पहला ऐसा दिन रहने की आशंका है, जब वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच जाएगी और इसके 8 नवंबर यानी दीवाली तक इसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। यह पूर्वानुमान ऐसे समय आया है, जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पराली जलाने का दौर चरम पर है। वहीं, दीवाली पर पटाखों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण के स्तर को और बढ़ा सकता है।

एसआईआर : 7 राज्यों में मतदाताओं को मिला मौका

निर्वाचन आयोग ने 7 राज्यों के उन मतदाताओं को एक और मौका देने का शुक्रवार को फैसला किया, जिन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरी प्रविष्टि (एएसडीडी) वाली श्रेणी में चिह्नित किया गया था। इन मतदाताओं को गणना प्रपत्र जारी किए गए थे, लेकिन ये प्रपत्र वापस नहीं मिले थे। इसके कारण जारी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उनके नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाये थे।

ये निर्देश दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड के लिए लागू होंगे। निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र स्थापित करने को भी कहा है कि कोई भी पात्र मतदाता अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के अवसर से वंचित न रहे और साथ ही दोहरी प्रविष्टियों को भी रोका जा सके।

निर्वाचन आयोग ने देर से उठाया कदम: कांग्रेस

कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान छूट गए मतदाताओं को शामिल करने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए निर्देश जारी करना इस बात की देर से स्वीकारोक्ति है कि 'गलत तरीके से नाम हटाए जाने और मतदाताओं को बाहर रखने' की घटनाएं हुई हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में निर्वाचन आयोग के इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह एक और 'यू-टर्न' है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के दौरान छूट गए मतदाताओं को शामिल करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। **भाषा**

अयोध्या दीपोत्सव में मुख्य अतिथि होंगे उपराष्ट्रपति

बीएस संवाददाता
लखनऊ, 6 नवंबर

योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से हर साल दीपावली में अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव में इस बार खास मेहमान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे।

साल दर साल दीप जलाने के नए विश्व रिकॉर्ड बना रहे अयोध्या के दीपोत्सव को देखने इस बार बड़ी तादाद में विदेशी पर्यटक भी आए हैं। प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने खास दीपोत्सव के लिए आकर्षक पैकेज भी लॉन्च किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के पर्यटक अयोध्या दीपोत्सव देखने पहुंच चुके हैं। साथ ही कई देशों से रामलीला की प्रस्तुति देने के लिए सांस्कृतिक दल भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या में शनिवार को सरयू तट पर लाखों दीप एक साथ जलाने का नया रिकॉर्ड बनेगा।

दीपोत्सव के प्रमुख आयोजनों को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने स्थलों के हिसाब से जिम्मेदारियां बांट दी हैं। उप राष्ट्रपति के आगमन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों को देखते हुए हवाई अड्डे से श्रीरामजन्मभूमि परिसर, नया घाट, रामकथा पार्क और राम की पैड़ी तक अधिकारियों की तैनाती की गई है। 5 नवंबर को जारी संशोधित आदेश में आयोजन स्थलों, शोभायात्रा, अतिथि दीर्घाओं और यातायात व्यवस्था की निगरानी के लिए अलग-अलग मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं।

विशिष्ट अतिथियों के आगमन से लेकर दर्शन-पूजन और कार्यक्रम स्थलों तक आवागमन के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। दीपोत्सव में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात, पार्किंग, बैरिकेडिंग और आवागमन की व्यवस्था महत्त्वपूर्ण होगी। राम की पैड़ी, सरयू आरती स्थल और प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्थाओं की निगरानी की जाएगी। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कहा कि दीपोत्सव में श्रद्धालुओं और अतिथियों की सुविधा तथा सुरक्षा प्राथमिकता है। सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। संबंधित विभागों को समन्वय के साथ व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आयोजन के दौरान किसी को असुविधा न हो।

NSE

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: एक्सचेंज प्लाज़ा, सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१

सार्वजनिक सूचना

संस्थागत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ("आईटीपी") पर सूचीबद्ध कंपनियों के साधारण शेयरों की अनिवार्य असूचीबद्धता हेतु सार्वजनिक सूचना

सेबी परिपत्र सं. CIR/MRD/DSA/33/2013 दिनांक २४ अक्टूबर, २०१३ के खंड ३(f)(ii) एवं ३(f)(iii) के अनुसार, सेबी (साधारण शेयरों का असूचीबद्ध किया जाना) विनियम, २०२१ ("असूचीबद्धता विनियम") के विनियम ३१(३) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एक्सचेंज") की उप-विधियों और विनियमों के साथ पठित, एतद्द्वारा **सूचना** दी जाती है कि एक्सचेंज नीचे उल्लिखित कंपनियों को, जो सेबी परिपत्र सं. CIR/MRD/DSA/33/2013 दिनांक २४ अक्टूबर, २०१३ के अनुसार सूचीबद्ध हैं, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के पास एक वर्ष से अधिक समय तक आवधिक फाइलिंग न करने तथा संस्थागत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्धता के दस वर्षों के पश्चात् १८ महीनों के भीतर प्लेटफॉर्म से बाहर न निकलने के कारण असूचीबद्ध करने का प्रस्ताव करता है।

एक्सचेंज ने कंपनियों को, एक्सचेंज के अभिलेखों के अनुसार अंतिम ज्ञात पते और पंजीकृत ई-मेल पते पर, **कारण** बताओ सूचना जारी की है, जिसमें उक्त कंपनियों से यह कारण बताने को कहा गया है कि कंपनियों के साधारण शेयरों को एक्सचेंज से अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध क्यों न किया जाए। बीडीआर बिल्डकॉन लिमिटेड को कारण बताओ सूचना एक्सचेंज के पास उपलब्ध ई-मेल आईडी पर दिनांक १६ सितंबर, २०२६ के ई-मेल द्वारा तथा दिनांक १७ सितंबर, २०२६ को उसके पंजीकृत पते पर कूरियर द्वारा जारी की गई, जो १८ सितंबर, २०२६ को वितरित हुई। जीआईआर नेचरल्यू रिसोर्ट्स लिमिटेड तथा धर्ड रॉक मल्टीमीडिया लिमिटेड को कारण बताओ सूचना एक्सचेंज के पास उपलब्ध ई-मेल आईडी पर दिनांक १६ सितंबर, २०२६ के ई-मेल द्वारा तथा दिनांक १७ सितंबर, २०२६ को उनके पंजीकृत पते पर कूरियर द्वारा जारी की गई, जो अवितरित लौटाई गई। कंपनियों के नाम तथा एक्सचेंज के अभिलेखों के अनुसार अंतिम ज्ञात पता नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	कंपनी	*कंपनी का पंजीकृत पता
१.	बीडीआर बिल्डकॉन लिमिटेड	२१ रिंग रोड, तृतीय तल, लाजपत नगर- IV नई दिल्ली साउथ, दिल्ली ११००२४ भारत।
२.	जीआईआर नेचरल्यू रिसोर्ट्स लिमिटेड	एफ-१०४, प्रथम तल, मुलजीभा आर्केड, डी एन नगर, न्यू लिंक रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई सिटी, महाराष्ट्र ४०००५३ भारत।
३.	धर्ड रॉक मल्टीमीडिया लिमिटेड	सॉफ्ट ३१, भूतल, मोना शॉपिंग सेंटर पार्लर, दादाभाई रोड, नवरंग सिनेमा के पास, अंधेरी (वेस्ट), मुंबई सिटी, महाराष्ट्र ४०००५८ भारत।

*एक्सचेंज के अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध पता।

टिप्पणी:
अनिवार्य असूचीबद्धता के परिणामों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- अनिवार्य असूचीबद्धता पर, उपर्युक्त कंपनियाँ स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं रहेंगी।
- सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, २०१८ के विनियम २९१ के अनुसार "उप-विनियम (१) के अंतर्गत असूचीबद्ध की गई किसी इकाई के प्रवर्तकों और निदेशकों द्वारा प्रवर्तित किसी भी जारीकर्ता को, ऐसी असूचीबद्धता की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक इनोवेटर्स शोध प्लेटफ़ॉर्म पर सूचीबद्ध होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, बशर्ते कि इस विनियम के प्रावधान ऐसे असूचीबद्ध जारीकर्ता के किसी भी स्वतंत्र निदेशक द्वारा प्रवर्तित किसी अन्य जारीकर्ता पर लागू नहीं होंगे।"
- सेबी (साधारण शेयरों का असूचीबद्ध किया जाना) विनियम, २०२१ के विनियम ३४ के अनुसार अनिवार्य असूचीबद्धता के परिणाम उपर्युक्त कंपनियों पर लागू नहीं होंगे।

प्रस्तावित असूचीबद्धता से व्यथित कोई भी व्यक्ति **इस सूचना के १५ कार्य दिवसों के भीतर, अर्थात दिसंबर २१, २०२६, को या उससे पहले**, एक्सचेंज की असूचीबद्धता समिति को लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकता है।

अभ्यावेदन, उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के पूर्ण संपर्क विवरण (ई-मेल आईडी, पता और फ़ोन नंबर) सहित, निम्नलिखित को संबोधित किया जाना चाहिए:

असूचीबद्धता समिति, सूचीकरण विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाज़ा, सी-1, ब्लॉक-जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ तथा ७ वीं मंज़िल, इंस्पायर, बीकेसी मेन रोड, जी ब्लॉक बीकेसी, पोस्ट नगर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र ४०००५१। संपर्क नंबर: +९१ २२ २६५९८१०० (३२०१४), ई-मेल: vgandhi@nse.co.in, delisting@nse.co.in [प्रिलिमिरि.dl-insp-enf-delisting@nse.co.in] । अभ्यावेदन अनिवार्य रूप से उपर्युक्त विनिर्दिष्ट ई-मेल पते पर ही भेजा जाना चाहिए। कोई भी गुमनाम अभ्यावेदन वैध नहीं माना जाएगा।

कंपनियों को निर्देश दिया जाता है कि प्रवर्तक(कों)/निदेशक(कों) के विवरण में किसी भी विसंगति की स्थिति में वे उपर्युक्त टेलीफ़ोन नंबरों और ई-मेल पते पर एक्सचेंज से संपर्क करें।

स्थान: मुंबई **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड**
दिनांक: नवंबर ०७, २०२६

Nifty50

KHADIM

KHADIM INDIA LIMITED
CIN: L19129WB1981PLC034337
Registered Office: 7th Floor, Tower C, RDB Primarc TechPark, 08 Major Arterial Road, Block –AF, New Town (Rajarhat) Kolkata -700156, West Bengal, India
Tel No: +91 33 4009 0501 | **E-mail**: compliance@khadims.com | **Website**: www.khadims.com

Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and six months ended 30th September, 2026

(₹ in million)

Sl. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		3 months ended 30th September, 2026	6 months ended 30th September, 2026	Corresponding 3 months ended 30th September, 2025	3 months ended 30th September, 2026	6 months ended 30th September, 2026	Corresponding 3 months ended 30th September, 2025
1.	Total Income from Operations	1,093.05	1,929.73	1,034.54	1,093.05	1,929.73	1,034.54
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	40.62	47.71	22.53	40.21	47.28	22.47
3.	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	40.62	47.71	22.53	40.21	47.28	22.47
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	26.94	32.18	16.78	26.53	31.75	16.72
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income/(Loss) (after tax)]	28.27	34.85	16.75	27.89	34.45	16.69
6.	Equity Share Capital	183.78	183.78	183.78	183.78	183.78	183.78
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)		1,550.30			1,547.70	
8.	Earnings per equity share (of ₹10/- each) (not annualised)						
	(i) Basic (₹)	1.47	1.75	0.91	1.44	1.73	0.91
	(ii) Diluted (₹)	1.47	1.75	0.91	1.44	1.73	0.91

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed financial results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on 5th November, 2026. The full format of the Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Company's website (www.khadims.com) and on the websites of the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com).The same can be accessed by scanning the QR code provided below.
2. On 21st November, 2025, the Government of India notified four Labour Codes - the Code on Wages, 2019, the Industrial Relations Code, 2020, the Code on Social Security, 2020, and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 - consolidating 29 existing labour laws. The Ministry of Labour & Employment published draft Central Rules and FAQs to enable assessment of the financial impact due to changes in regulations. The Company has assessed and disclosed the incremental impact of these changes on the basis of best information available, consistent with the guidance provided by the Institute of Chartered Accountants of India. Considering the materiality and regulatory-driven, non-recurring nature of this impact, the Company has presented such incremental impact as "Statutory impact of new Labour Codes" under "Exceptional items" in the Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the year ended 31st March, 2026. The incremental impact consisting of gratuity and leave encashment benefits of Rs.18.20 millions primarily arises due to change in wage definition. The Company continues to monitor the finalisation of State Rules and clarifications from the Government on other aspects of the Labour Code and would provide appropriate accounting effect on the basis of such developments as needed.
3. The Members of the Company vide Extra-ordinary General Meeting held on 1st August, 2026 has approved the issuance of 10,22,727 Fully Convertible Equity Share Warrants (hereinafter referred to as 'Warrants') at an exercise price of Rs.110/- per underlying Equity Share of the face value of Rs.10/- each with a premium of Rs.100/- per share [each convertible into 1 (One) Equity Share of face value of Rs.10/- each] aggregating up to Rs.112.50 million for cash, to the person(s) belonging to Promoter and Non- Promoter Category, in accordance with the provisions of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirement) Regulations, 2018.
Consequent to receipt of in-principle approval from both the stock exchanges on 11th September 2026, the members of the Board of Directors of the Company vide the resolution passed on 25th September, 2026 approved the allotment of 10,22,727 Warrants at an exercise price of ₹ 110/- each, post receipt of 25% of the total consideration money for the said Warrants from the allottees. The same shall be convertible into Equity Shares, in one or more tranches, within a period of 18 (Eighteen) months from the date of allotment of Warrants on receipt of balance amount equivalent to 75% of the issue price.

Place: Kolkata
Date : November 05, 2026

For and on behalf of the Board of Directors
Siddhartha Roy Burman
Executive Chairman
DIN :00043715

More Newspapers and Magazines telegram group join Search https://t.me/NewsTG8 (NewsTG8) ya Whatsapp ya telegram message this Number 8890050582